भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 847

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा महाविद्यालय

847. श्री बसवराज बोम्मई:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 2014 की तुलना में वर्तमान में कार्यात्मक चिकित्सा महाविद्यालयों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2014 की तुलना में आज तक विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में एमबीबीएस सीटों की संख्या में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या चिकित्सा महाविद्यालयों और सीटों की संख्या में वृद्धि से देश में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और तत्पश्चात एमबीबीएस सीटों में भी वृद्धि की है। वर्ष 2014 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 404 से बढ़कर अब तक की स्थिति के अनुसार 780 हो गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014 में 54,348 से बढ़कर अब तक की स्थिति के अनुसार 1,18,190 एमबीबीएस सीटें हो गई हैं, इस तरह इसमें 63,842 सीटों की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 और 2024-25 में कर्नाटक सहित देश में एमबीबीएस सीटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

देश में स्वास्थ्य सेवा परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपाय/कदम इस प्रकार हैं

i. जिला/रेफरल अस्पताल का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) जिसके तहत 157 नए मेडिकल कॉलेजों को अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 131 मेडिकल कॉलेज पहले से ही कार्यशील हैं।

ii. एमबीबीएस (यूजी) और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन करने के लिए सीएसएस, जिसके तहत 5972.20 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से 83 कॉलेजों में 4977 एमबीबीएस सीटें, 1498.43 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से चरण-I में 72 कॉलेजों में 4058 पीजी सीटें और 4478.25 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से चरण-II में 65 कॉलेजों में 4000 पीजी सीटें बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

iii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के घटक "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" के तहत कुल 75 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

iv. नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 19 एम्स में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं।

v. संकाय की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है।

vi. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रिंसिपल/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनर्नियुक्ति के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया गया है।

******

दिनांक 07/02/2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 847 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

वर्ष 2014-15 और 2024-25 में देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 में एमबीबीएस सीटों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमबीबीएस सीटों की संख्या
1.	अंडमान और निकोरबार द्वीप समूह	0	114
2.	आंध्र प्रदेश	6900	6785
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	100
4.	असम	726	1650
5.	बिहार	1310	2995
6.	चंडीगढ़	100	150
7.	छत्तीसगढ	700	2455
8.	दादरा एवं नगर हवेली	0	177
9.	दिल्ली	1000	1497
10.	गोवा	150	200
11.	गुजरात	2930	7250
12.	हरियाणा	800	2185
13.	हिमाचल प्रदेश	350	920
14.	जम्मू और कश्मीर	500	1339
15.	झारखंड	350	1055
16.	कर्नाटक	6905	12545
17.	केरल	3650	4905
18.	मध्य प्रदेश	1850	5200
19.	महाराष्ट्र	6195	11846
20.	मणिपुर	200	525
21.	मेघालय	50	200
22.	मिजोरम	0	100
23.	नगालैंड	0	100
24.	उड़ीसा	1150	2725
25.	पांडिचेरी	1350	1830
26.	पंजाब	1295	1850
27.	राजस्थान	2000	6476
28.	सिक्किम	100	150
29.	तमिलनाडु	5915	12050
30.	तेलंगाना	0	9040
31.	त्रिपुरा	200	425
32.	उत्तर प्रदेश	4099	12475
33.	उत्तराखंड	450	1400
34.	पश्चिम बंगाल	2450	5476
35.	एम्स	*673*	*

* एम्स में एमबीबीएस सीटें संबंधित राज्यों में शामिल कर ली गई हैं।

*****